कोविड-19 के कारण व्यवधान पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हमें मोटर ओ डी क्षेत्र में नवीनीकरण तथा दावा लेन-देन के संबंध में कुछ प्रश्न प्राप्त हो रहे है। प्रश्न व उनके उत्तर यहाँ नीचें दिये गये है:

प्रश्न 1) मैं पॉलिसियों का नवीनीकरण/खरीद कैसे करूं ?

उत्तर : लॉकडाउन से मोटर बीमा पॉलिसियों के नवीनीकरण या खरीद को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। ऑनलाइन खरीद की सुविधा हमारे वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। कृपया मोटर बीमा की खरीद के लिए हमारी वेबसाइट www.orientalinsurance.org.in पर जाये। हमारे एजेन्टों व ब्रोकरों को अवधि में ब्रेक की स्थिति में ऐप की सुविधा प्रदान की गई है। सभी पॉलिसियों का नवीनीकरण विभिन्न भुगतान वेलेट जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे इत्यादि तथा सभी इन्स्टा पे बैंक पोर्टल सहित डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध है। सभी नवीनीकरण इन डिजिटल प्लैटफार्मों के माध्यम से मूल रूप से किये जा सकते है।

प्रश्न 2) लॉक डाउन अवधि के दौरान दावों की रिपोर्ट कैसे करें तथा किसे रिपोर्ट करें ?

उत्तर : हम कोरोना वायरस रोग (कोविड-10) के कारण होने वाले व्यवधान को जानते है। केवल वही वाहन सडकों पर होंगे जिन्हें अनुमति होगी । इस चल रहे संकट के दौरान हम आपसे अनुरोध करते है कि आप घर में ही रहे और अपना व अपने परिवारिक सदस्यों का ध्यान रखे । फिर भी, किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के मामले में हमारे सभी पालिसीधारकों को मार्गदर्शन करने के लिए हमारे कॉल सेंटर से संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध है। आप हमारे नजदीकी कार्यालय से भी संपर्क कर सकते है। उनके संपर्क विवरण हमारे पोर्टल पर उपलब्ध है। आप हमारे पोर्टल पर भी दावा दर्ज कर सकते है।लॉक डाउन अवधि के दौरान, यदि आप हमारे अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पाते है तो आप प्रत्यक्ष रूप से अपने शहर में हमारे सूचीवद्ध सर्वक्षकों से संपर्क कर सकते है, जिनका विवरण हमारी वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है।

यदि आप अभी भी हमारे किसी अधिकारी या सूचीबद्ध सर्वेक्षकों से संपर्क नहीं कर पा रहे है तो आप हमारे निम्नलिखित अधिकारियों: (1) सुश्री संतोष चौधरी, मुख्य प्रबंधक, उनके मोबाईल नं-9412083788 या श्री छोटू राम, मुख्य प्रबंधक उनके मोबाईल न 9811580081, से आगामी मार्गदर्शन हेतु संपर्क कर सकते है ।

प्रश्न 3) मैं आवश्यक दस्तावेज कैसे प्रस्तुत करू तथा दर्ज किये गये दावों की सिथति कैसे मालूम करू ?

उत्तर- स्थानीय परिस्थिति के दौरान, हम एक उत्तरदायी निगमित ईकाई के सभी उत्तरदायित्वों का पालन कर रहे है। हम वर्तमान व्यवधान के कारण गतिशीलता प्रतिबंधों को समझते है। हम इसे जानते है तथा हमारे कार्यालय इस लॉक डाउन अवधि के दौरान घटित दावों की रिपोर्टिंग में उचित छूट पर विचार करेंगे। लॉक डाउन से बाहर निकलने की घोषणा होने के बाद पॉलिसीधारकों को दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी जायेगी। इस तरह के प्रस्तुतीकरण, लॉक डाउन हटने के पश्चात उचित समय के अंदर किये जायेंगे ।

प्रश्न 4) लॉक डाउन तिथियों के मध्य अवधि के दौरान मेरे वाहन का नवीनीकरण कैसे होगा?

उत्तर- ऑन लाइन नवीनीकरण की सुविधा हमारे पोर्टल पर उपलब्ध है। यदि किसी की पॉलिसीधारक जिसका मोटर वाहन तृतीय पक्षीय बीमा का नवीनीकरण 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक की अवधि के दौरान आता है तो कोविड-19 के कारण हुये व्यवधान के परिणामत: समय पर प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ है, हम उस तिथि से संवैधानिक मोटर तृतीय पक्षीय बीमा की निरंतरता प्रदान करेंगे जिस पर पॉलिसी का नवीनीकरण देय होता है।

निरंतरता केवल तभी प्रदान की जायेगी जब प्रीमियम का भुगतान 21 अप्रैल, 2020 को या उससे पहले किया जाता है।

प्रश्न 5) क्या मोटर पैकेज पॉलिसियों के लिये लागू होने वाले प्रीमियम के भुगतान में छूट उपलब्ध है?

उत्तर - मौटर पैकेज पॉलिसियों के संबंध में छूट केवल टी पी घटक के लिये लागू होगी। ओ डी घटक के लिये कोई छूट नहीं है। सी पी ए घटक के लिए भी कोई छूट नहीं है ।

प्रश्न 6) क्या केवल स्टैण्ड अलोन मोटर टी पी पॉलिसियों के लिये प्रीमियम के भुगतान में छूट है या यह मोटर पैकेज पॉलिसियों के टी पी भाग के लिये भी है ?

उत्तर- मौटर पैकेज के टी पी भाग (अकेले) तथा स्टेण्ड अलोन मोटर टी पी भाग, दोनों पॉलिसियों के लिये छूट है, बशर्ते कि लॉक डाउन तिथियों के दौरान नवीनीकरण आता है तथा अपेक्षित वार्षिक प्रीमियम हमारे पास 21 अप्रैल, 2020 को या इससे पहले जमा करवाया जाता है।

प्रश्न 7) क्या इस तरह के कवर की निरंतरता प्राप्त करने के लिए वार्षिक प्रीमियम के बजाय केवल लॉक डाउन अवधि के लिये प्रीमियम का भुगतान करना पर्याप्त है ?

उत्तर : पॉलिसीधारकों को 21 अप्रैल, 2020 को या इससे पहले देय तिथि से 12 माह की पूरी अवधि के लिये नवीनीकरण प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

प्रश्न 8) यदि अपेक्षित, तृतीय पक्षीय प्रीमियम 21 अप्रैल, 2020 को या इससे पहले जमा किया जाता है तो किस तिथि से पॉलिसी की आरंभिक तिथि मानी जायेगी ?

उत्तर- पॉलिसी 21 अप्रैल, 2020 को या उससे पहले प्रीमियम की प्राप्ति के बाद जारी की जायेगी। कवर की अवधि उस तिथि से आरम्भ होगी जिस तिथि पर इसका नवीनीकरण, (बशर्त कि यह 25 मार्च से 14 अप्रैल, 2020 के मध्य आती है), पॉलिसी अवधी में बिना किसी ब्रेक के आता है ।

कृपया नोट करें : -

यह, अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) के उत्तर, केवल मार्गदर्शन के उद्देशय के लिए है। विस्तार से विवरण के लिए कृपया हमारे निकतम कार्यालय से संपर्क करें। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।

(एफ ए क्यू के उत्तर मोटर विभाग के महाप्रबंधक की मंजूरी के साथ है)